ओ. एन. जी. सी. विदेश लिमिटेड
ONGC VIDESH LIMITED
Corporate Identity No. : U74899DL1965GOI004343

6th Floor,
Kailash Building,
26, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110 001 INDIA
Website: www.ongcvidesh.com

Phones : 91-11-41291309
Fax : 91-11-23730369

संख्या : ओवीएल/राजभाषा/आरटीआई/2/2016 19 जुलाई, 2016

श्री अजय मलिक
9 दुर्गा अपार्टमेंटस
1, गांधी स्ट्रीट, कनंगम, तारामणि
चैन्ने, तमिलनाडु–600113

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना

महोदय,

पेट्रोलियम मंत्रालय के दिनांक 14.07.2016 के पत्र संख्या ई–11311/1/2016–हिन्दी/आरटीआई के संदर्भ में हमारे कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर यहां संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

18.7.16

(एस. पी. झा)
मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)
कृते सीपीआईओ–ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	कृपया जानकारी दें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 (ख) की परिभाषा के दायरे में आने वाले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि (इन्हें आगे केंद्रीय कार्यालय कहा जाएगा) में दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक वित्तीय वर्षवार कितने नए अधिकारी तथा नए कर्मचारी भर्ती हुए? कृपया कार्यालयवार, उपक्रमवार जानकारी दें।	ओएनजीसी विदेश भर्ती नहीं करता है । यह कार्य ओएनजीसी करता है ।
2.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपर्युक्त केंद्रीय कार्यालयों में दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक नए भर्ती अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से कार्यालयवार, उपक्रमवार कितने–कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं था?	10
3.	कृपया जानकारी दें कि दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक नए भर्ती हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने–कितने अधिकारी तथा कर्मचारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों द्वारा केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?	कोई नहीं
4.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के नई दिल्ली स्थित कार्यालयों आदि ने दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक नए भर्ती/नियुक्त किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने–कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, नई दिल्ली के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?	कोई नहीं
5.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित कार्यालयों ने दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक भर्ती/नियुक्त किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने–कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन लीला हिन्दी प्रबोध, गहन लीला हिन्दी प्रवीण, गहन लीला हिन्दी प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया तथा नामितों मे से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?	लागू नहीं
6.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित कार्यालयों ने दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती अथवा नवनियुक्त कितने–कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?	लागू नहीं

7.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त 5 वित्तीय वर्षों (दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक) के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के मामले में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारत 100 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में कितने–कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया? कृपया कार्यालयवार जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण रहे तथा इन कारणों के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग के भाग संवर्ग के सहायक निदेशक एवं प्राध्यापक किस प्रकार जिम्मेदार हैं?	95 प्रतिशत
8.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में तैनात निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा) एवं सहायक निदेशकों (राजभाषा) ने दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2013 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती / नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण दिलवाए जाने के लिए क्या–क्या प्रयास किए?	पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित
9.	कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में तथा उनके सम्पूर्ण भारत एवं विश्व में कार्यरत कार्यालयों, शाखाओं आदि में दिनांक 31.03.2013 की स्थित के अनुसार कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं तथा इनमें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?	ओएनजीसी विदेश भर्ती नहीं करता है । यह कार्य ओएनजीसी द्वारा किया जाता है । 10

अति तत्काल/आरटीआई मामला
स्पीड पोस्ट

संख्या ई-11311/1/2016-हिन्दी/आरटीआई
भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 14 जुलाई, 2016

सेवा में
श्री अजय मलिक,
9- दुर्गा अपार्टमेंट्स,
1- गांधी स्ट्रीट, कनंगम, तारामणि,
चैन्ने, **तमिलनाडु-600113**

विषय: सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया दिनांक 09.01.2014 के अपने आरटीआई आवेदन-पत्र का अवलोकन करें जो सीआईसी के दिनांक 05.07.2016 के नोटिस केस संख्या सीआईसी/एसएच/ए/2015/901074 के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आरटीआई एवं लोक शिकायत प्रकोष्ठ के दिनांक 13.07.2016 कार्यालय ज्ञापन संख्या 17027/12/2016-आरटीआई के माध्यम से इस मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में दिनांक 13.07.2016 को प्राप्त हुआ।

चूंकि आपके आरटीआई आवेदन में उल्लिखित मदों में से मद संख्या 8 में मांगी गई आंशिक सूचना ही इस मंत्रालय से संबंधित है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 प्रत्येक में क्रमश: 6 अधिकारी और 6 कर्मचारी हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष थे, जिन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था। जहां तक वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 का संबंध है इस दौरान कोई अधिकारी व कर्मचारी हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष नहीं था क्योंकि सभी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त था।

आपके आवेदन-पत्र के मद संख्या 1 से 9 में मांगी गई सूचना का संबंध इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/उपक्रमों से है। अत: आपका आवेदन-पत्र इन कार्यालयों/उपक्रमों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जा रहा है कि वे अपेक्षित जानकारी आपको **सीधे** उपलब्ध कराएं। इस संबंध में अधिक जानकारी, यदि कोई हो, के लिए आप सीधे संबंधित कार्यालयों/उपक्रमों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

..... 2/-

यदि आप ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, आप आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, इस मंत्रलाय के अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं:-

श्री डी. एस. रावत
संयुक्त निदेशक (रा.भा.) व अपीलीय प्राधिकारी,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
कमरा नं0 510, "डी" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

भवदीय,

(राम नरेश त्रिपाठी)
उप निदेशक (रा.भा.)
तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि **श्री अजय मलिक**, 9- दुर्गा अपार्टमेंट्स, 1- गांधी स्ट्रीट, कनंगम, तारामणि, चैन्ने, **तमिलनाडु-600113** के दिनांक 09.01.2014 के आरटीआई आवेदन-पत्र में **बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 9** पर मांगी गई सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवेदक को **सात (7) दिनों के अंदर सीधे** सूचना उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त सूचना की एक प्रति इस मंत्रालय को भी भेजी जाए।

1. श्री एन.के.परमार महाप्रबंधक (एचआर) और सीपाआईओ नैगम कार्यालय, **इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड** 3079/3, सादिक नगर, जे.बी.टीटो मार्ग नई दिल्ली-110049 **2. श्री एन. रामानाथन, उप महाप्रबंधक अनुपालन** (विपणन नैगम) व सीपीआईओ **बीपीसीएल**, भारत भवन, 4 व 6 करीमभाय रोड, बैलार्ड एस्टेट, पीबी सं. 688, मुम्बई–400001 **3. श्री विजय भिरूड, उप महाप्रबंधक**-आरटीआई, **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.** 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुम्बई 400020 **4. श्री एम.एस. टांक, महाप्रबंधक** (एचआर)-मुख्य अधिकारी आरटीआई **ओएनजीसी**, 13वां तल, स्कोप मीनार, लक्ष्मीनगर। **5. श्री बी. एम. सोलंकी,** सीपीआईओ, **गेल (इंडिया) लि.** गेल भवन, 16 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 **6. श्री सी. मुनीकृष्णा, महाप्रबंधक (एचआर), ईआईएल** ईआईएल भवन, 6ठां तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 **7. श्री सुशील कुमार सिंह उप महाप्रबंधक (प्रशा.),** नैगम कार्यालय, आयल इंडिया लि., प्लॉट सं. 19, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा, (उ.प्र.) **8. श्री एस. वैद्यनाथन, मुख्य प्रबंधक (नैगम संचार)** और पीआईओ, **चैन्ने पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.** 536, अन्ना सलाई, टेयानमपेट, चैन्ने- 600018 **9. श्री गणेश साह,** अनुभाग अधिकारी, **तेल उद्योग विकास बोर्ड,** ओआईडीबी भवन, 'सी' ब्लॉक तीसरा तल, प्लॉट सं. 2 सेक्टर - 73, नोएडा - 201301 **10. श्री अमर दास, अपर निदेशक (पीएंडए)** और पीआईओ, **पीसीआरए,** संरक्षण भवन, 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 **11. श्री देबाशीष चौधरी** सीपीआईओ, **नुमलीगढ़ रिफाइनरी लि.** (एनआरएल) पोस्ट एन.आर. प्रोजक्ट, जिला गोलाघाट, असम-785699 **12. श्री सुदीप चटर्जी,** पी.एस., **एमडी**, नोडल अधिकारी, **बीको लॉरी लिमिटेड** 6, मयूरभज रोड, कोलकाता - 700023 **13. श्री एम. गुप्ता, अपर निदेशक,** पीआईओ, **तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय** 8वां तल, टॉवर-ए, ओआईडीबी, सेक्टर - 73, नोएडा **14. श्री रोहित डावर,** लोक सूचना अधिकारी, **पीपीएसी,** दूसरा तल, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 **15. श्री पी. के. खुंटिआ, महाप्रबंधक (एचआर), ओएनजीसी विदेश लि.** तीसरा तल, अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 **16. श्री राजबीर सिंह रॉयल,** मुख्य प्रबंधक (भंडार) **हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय,** ओआईडीबी भवन, टावर-ए, सेक्टर 73, नोएडा। **17. श्री कौस्तव सेन,** वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) सीपीआईओ, **बामर लॉरी एंड कं. लि.** 21 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700 001 **18. श्री पैट्रिक राजेश मिंज,** वरिष्ठ प्रबंधक(एचआर), **एमआरपीएल,** डाकघर कुथेथूर, मंगलौर- 575030

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ:-
i) सूचना प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
ii) गार्ड फाइल, हिन्दी अनुभाग, एमओपीएंडएनजी।

अजय मलिक
9 - दुर्गा अपार्टमेंट्स
1 - गांधी स्ट्रीट, कानगम
तारामणी, चेन्नै - 600113

सेवा में,

सीपीआईओ
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनाएँ मदवार निर्धारित समय में देने की कृपा की जाए। निर्धारित शुल्क रुपए 10/- का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है -

1. कृपया जानकारी दें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 (ख) की परिभाषा के दायरे में आने वाले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, आदि (इन्हें आगे केंद्रीय कार्यालय कहा जाएगा) में दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक वित्तीय वर्षवार कितने नए अधिकारी तथा नए कर्मचारी भर्ती हुए? कृपया कार्यालयवार, उपक्रमवार जानकारी दें।
2. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपर्युक्त केंद्रीय कार्यालयों में दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक नए भर्ती अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से कार्यालयवार, उपक्रमवार कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं था?
3. कृपया जानकारी दें कि दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक नए भर्ती हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारी तथा कर्मचारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों द्वारा केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?
4. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के नई दिल्ली स्थित कार्यालयों आदि ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक नए भर्ती/ नियुक्त किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, नई दिल्ली के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?
5. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित कार्यालयों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक भर्ती/ नियुक्त

किए गए हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन लीला हिन्दी प्रबोध, गहन लीला हिन्दी प्रवीण, गहन लीला हिन्दी प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?

6. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के चेन्नै तथा तमिलनाडु स्थित कार्यालयों ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती अथवा नवनियुक्त कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, चेन्नै के गहन भाषा प्रशिक्षण यथा गहन प्रबोध, गहन प्रवीण, गहन प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए नामित किया तथा नामितों में से कितनों ने उपर्युक्त प्रशिक्षण पूरे किए?

7. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों दवारा उपर्युक्त 5 वित्तीय वर्षों (दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक) के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के मामले में राजभाषा विभाग दवारा निर्धारित 100 % के लक्ष्य की तुलना में कितने-कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया? कृपया कार्यालयवार जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों दवारा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण रहे तथा इन कारणों के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग के भाषा संवर्ग के सहायक निदेशक एवं प्राध्यापक किस प्रकार जिम्मेदार हैं?

8. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में तैनात निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उपनिदेशक (राजभाषा) एवं सहायक निदेशकों(राजभाषा) ने दिनांक:01-04-2008 से दिनांक: 31-03-2013 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले नए भर्ती/नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण दिलवाए जाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए?

9. कृपया जानकारी दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में तथा उनके सम्पूर्ण भारत एवं विश्व में कार्यरत कार्यालयों, शाखाओं आदि में दिनांक: 31-03-2013 की स्थित के अनुसार कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इनमें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है?

भवदीय

चेन्नई, दिनांक: 09-01-2014

(अजय मलिक)

Your RTI Request filed successfully.

Registration Number	MOPNG/R/2014/60055
Name	ajai malik
Date of Filing	09-01-2014
RTI Fee Received	10
Payment Mode	Credit or Debit Card
Payment Reference Number	114010970016423
Transaction Status	Transaction Successful
Request filed with	Ministry of Petroleum & Natural Gas

Telephone Number	23386965
Email Id	usdist@yahoo.co.in